श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की जानकारी चाहता हूं, इन्होंने जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में आंकड़े दिए हैं, यह हमारी आबादी को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो चार्ट दर्शाया है, उसमें 12 राज्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन 12 राज्यों में भी आप प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, जैसा मैंने पहले कहा कि हर प्रोग्राम को हर राज्य में एक ही वक्त में चलाना संभव नहीं है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस राज्य में किस प्रोग्राम को चलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसके लिए हमारे पास इस प्लान, यानी 5 सालों के लिए या एक साल के लिए कितना पैसा है। जो पैसा होता है, वह पांच साल के लिए आता है और हर साल बढ़ता है। तो कई राज्यों में शुरू में यह पायलट बेसिस पर लिया जाता है, फिर अगले साल इसमें कुछ राज्य add किए जाते हैं और उसके अगले साल फिर कुछ राज्य add किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल pick and choose होता है। हैल्थ के मामले में हम लोग pick and choose बिल्कुल नहीं करते हैं। वहां जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग चलती है और जरूरत के अनुसार ही वहां बीमारी का इलाज चलता है।

डा. (श्रीमती) नज़मा ए. हेपतुल्ला : सर, मुझे भी सवाल पूछना है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I understand that, but one can have only three supplementaries. Q. No. 542.

Migration to cities despite MNREGS

*542. SHRI BHAGIRATHI MAJHI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether despite the launch of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS), huge number of tribals and financially backward communities are migrating to the cities and metro cities of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government will ensure their empowerment for welfare/ development and provide social security at the district level and to create safe livelihood at their native towns/villages; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI PRADEEP JAIN): (a) to (d) A îtatement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) With the launch of Mahatma Gandhi NREGA, there has been greater opportunity of rural livelihood benefiting tribals and Scheduled Castes and other backward communities. This has

helped in reduction in the migration of the tribals and other backward communities to the cities and metro cities of the country. Since inception of the Act, a number of studies have been conducted by various institutions/organizations to assess the impact of Mahatma Gandhi NREGA in rural areas. These studies have revealed that due to increased employment opportunities in rural areas, there has been a decrease in distress migration. In some places, reduction in family migration has been noticed.

In order to ensure their empowerment, welfare, development, social security and safe livelihood, Government has enacted Mahatma Gandhi NREGA. The aim of Mahatma Gandhi NREGA is to provide for enhancement of livelihood security of the rural households by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a year to every household on demand for doing unskilled manual work.

In accordance with para 12 of Mahatma Gandhi NREGA, as far as possible, employment shall be provided within a radius of 5 kilometers of the village from where the applicant resides at the time of applying. In case the employment is provided outside such radius, it must be provided within the Block and the labourers shall be paid 10% of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and living expenses. Amendment has been made in para 1 (iv) of Schedule – I of the Act to provide for works on individual land owned by small and marginal farmers. The amended para is as given below;

"Provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debit Relief Scheme, 2008."

Clarifications dated 1.9.2009 have been issued to provide that works on the land of SC and ST households will be taken on priority. Once works on the lands of SC/ST beneficiaries are saturated in a Gram Panchayat, works on lands of small and marginal farmers may be considered.

As reported by the State Governments, 2.10 crore households were provided employment under Mahatma Gandhi NREGA during 2006-07, 3.39 crore during 2007-08, 4.51 crore during 2008-09 and 5.06 crore have been provided employment during 2009-10 (up to march, provisional). 90.5 crore person days of employment were generated in 2006-07 out of which share of SC beneficiaries was 25% and ST was 36%; in 2007-08, 143.59 crore persondays were generated out of which

share of SCs was 27% and ST beneficiaries was 29%; in 2008-09, 216.32 crore persondays were generated out of which SCs were 29% and STs were 25% and during 2009-10, 261.90 crore persondays of employment have been generated out of which share of SCs is 30% and those of STs is 21%.

श्री भागीरथी माझी : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें लिखा है कि अभी NREGA के कारण migration कम हो गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि इसके कारण migration कम हो गया है, क्योंकि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से अभी भी लाखों लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। सभापति जी, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act का लक्ष्य है - एक परिवार को वर्ष में 100 दिनों का काम देना, लेकिन बहुत से ऐसे काम नज़र में आते हैं, जहां मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री प्रदीप जैन : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि NREGA संसार की श्रेष्ठम योजना है, जिसे भारत सरकार ने कानून का रूप दिया है और एक लंबी जद्दोज़हद के बाद देश के सारे विचारकों और चिंतकों ने प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह और UPA Chairperson, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह विचार किया कि देश के 2,52,000 गांवों में जो लोग रहते हैं, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि वे गांवों से शहरों की ओर केन्द्रित न हों। उन्हें रोज़गार मिले, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता मिले, इसके लिए एक Act का निर्माण किया गया। इस Act के अंतर्गत जहां भारत सरकार इस काम के लिए फंड उपलब्ध कराती है, वहीं इस Act के सैक्शन 3 में राज्य सरकारों द्वारा यह गारंटी दी जाती है कि वे प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोज़गार देंगी। इस प्रकार गारंटी देने का प्रावधान राज्य सरकार का है। आज इस योजना के बहुत से सकारात्मक परिणाम आए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बारे में बहुत सी studies भी की हैं कि देश में जो महिला शक्ति है, जो SC के लोग हैं, जो ST के लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी बढ़ी है? NFIW ने एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की स्टडी की है। उन्होंने कहा कि राजनाथ गांव में पहले जो 82 परसेंट लोग migrate करते थे, वे इस योजना के लागू होने के बाद गांव में ही कार्य कर रहे हैं। इसी तरह पहले झाबुआ में 59 परसेंट migration होता था, इस योजना के लागू होने के बाद वहां के लोग गांव से बाहर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। Centre For Science & Environment ने भी उड़ीसा के नाकुदा जिले और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बारे में स्टडी की है। वहां जो 60 परसेंट migration होता था, अब वह रुक गया है। इस तरह की बहुत सारी स्टड़ीज़ हुई है। Institute of Human Development ने भी एक बहुत अच्छी स्टडी की है। उन्होंने बताया है कि बिहार में अब migration 16 परसेंट से भी नीचे रह गया है। इसके अलावा Indian Schools of Women ने भी 2007-08 में केरल में migration के बारे में स्टडी की थी। आज हमारे देश में ST की संख्या 8 करोड़ है और SC की संख्या

16 करोड़ है तथा जिस तरह से उनकी सहभागिता बढ़ी है, यह हर्ष की बात है। इस कानून में वर्तमान में यह प्रावधान किया गया है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा। हमारे देश में अधिकांश किसान, लघु और सीमांत किसान हैं, small and marginal farmers हैं और इस कानून के अंतर्गत उनके खेतों में काम करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे काफी हद तक पलायन रुका है।

श्री भागीरथी माझी : सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनको 10 परसेंट अधिक धनराशि दी जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर कितने मज़दूर काम करने के लिए गए हैं और उनको कितनी अतिरिक्त धनराशि दी गई है?

श्री प्रदीप जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि चूंकि भारत सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है और ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तर पर कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अलग से इस तरह की कोई study नहीं की गई है। एक study में जो देखने में आया है, वह यह है कि अधिकांश लोगों को, जो गांव के पांच किलोमीटर के अंदर हैं, उन्हीं स्थानों पर काम मिल जाता है। कार्य योजना का निर्धारण भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं करती है, बल्कि ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य योजना का निर्धारण किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस समय कार्य योजना का निर्धारण किया जाता है, उस समय सारे ग्रामीणों के बीच में बैठकर यह निश्चित किया जाता है कि कार्य स्थल गांव के नजदीक हो और पांच किलोमीटर के अंदर हो। इसके अलावा इस कानून के अंदर यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कारण से वह कार्य गांव के पांच किलोमीटर के अंदर saturate हो गया है, तो वे पांच किलोमीटर के बाहर भी कार्य कर सकते हैं और जिसके लिए दस प्रतिशत की धनराशि इस कानून के अंतर्गत निहित है।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, इस समय देश भर में जो आदिवासी Colonies हैं, वे कई कारणों से बहुत भारी संकट में हैं, इसलिए "नरेगा" वाकई में उनके लिए जीवन रेखा के रूप में काम कर सकता है। यदि हम आपके आंकड़े देखते हैं, तो 2006-07 में 36 परसेंट काम के दिन tribals को दिए गए, वह घटते-घटते आज 21 परसेंट तक आ गये हैं। यह मानते हुए कि निश्चित रूप से "नरेगा" एक सकारात्मक असर है, लेकिन इस समय आदिवासियों के लिए जो जरूरत है, जो migrant workers हो जाते हैं, आज उनके अधिकार न के बराबर हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो migrant tribal workers हैं, जो अन्यत्र प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए इस समय कोई social security नहीं है, क्योंकि इसके लिए residential proof की जरूरत है, तो क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से migrant tribal workers के लिए कोई विशेष स्कीम ली जाएगी, जिससे उनको बीपीएल के जो अधिकार हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार हैं और बाकी जो social security के अधिकार हैं, उन्हें विशेष migrant identity card देकर उनके लिए आप कुछ सोच सकते हैं?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने विस्तृत प्रश्न उठाया है, जो इस प्रश्न के orbit से बाहर है। उसने स्वास्थ्य के संबंध में कहा है, बीपीएल के संबंध में कहा है। भारत सरकार निश्चित तौर पर

यूआईडी कार्ड बनाने का कार्य कर रही है, उसके पीछे मंशा यही है कि हम उस गरीब आदमी की पहचान कर सकें और वह कहीं पर भी जाए, उसका entitlement उसको मिल सके। हम लोग यह काम नंदन नीलकंठ की अध्यक्षता में कर रहे हैं। जहां तक आपने ST के percentage का कहा है, आपको स्मरण होगा, आप भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि सबसे पहले जब "नरेगा" योजना लागू की थी, तो 200 districts में लागू की गई थी और वे सबसे poorest districts के लोग थे। सबसे ज्यादा ST की population वहां पर थी। जैसे-जैसे हमने इसको बढ़ाया है, वैसे वैसे ST की Population relatively कम होती गई है। 21 परसेंट कम होने का कारण यह नहीं है कि ST काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चूंकि entire scheme को पूरे देश में spread किया है, इसलिए उनका percentage कम हो गया है, अन्यथा इसमें ST में उनको जितना अधिकृत है, सबसे ज्यादा काम वे दे रहे हैं। 100 दिन का household काम जो कर रहे हैं, वे वही लोग कर रहे हैं, जो ST के लोग हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो बात उठाई है, भारत सरकार इसके लिए चिंतित है और बीपीएल तथा गरीब आदमी की इस समस्या का निदान करने के लिए काम कर रही है। जैसे ही यूआईडी कार्ड बन जाएगा, इससे उसकी पहचान बन जाएगी, तब migrant होने के बाद भी उनका अधिकार बना रहेगा।

श्री बिश्वजीत दैमारी : सर, जो "Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Scheme" है, उसमें मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अभी जो ST areas और Backward areas से जो मजदूर शहरों में migrant हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर जो "मनरेगा" स्कीम implement किया जा रहा है, इसके लिए practically जितने भी terms & conditions और rules बनाए गए हैं, उनको implement करने में problem है।

मैं गांव से आता हूं। वहां पर कोई बैंक नहीं है। बैंक न होने के कारण वहां पर इस स्कीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। यह विषय चिंताजनक है। इसके अतिरिक्त 60:40 का जो रेश्यो है, सिर्फ 60 परसेंट पैसे को वहां पर मजदूरी के लिए खर्च करना है और 40 परसेंट पैसे से कुछ मैटीरियल परचेज़ करना है। असम में every रास्ता बनने से हर 15 मीटर पर एक हिउम (Hume) पाइप चाहिए जिसको खरीदने के लिए, जितना धन मजदूरी में जाता है, उससे बहुत ज्यादा जाता है। वह बाढ़ वाला इलाका है, वहां पर erosion protection करना पड़ता है। वहां बोलदार (Balder) नेट और खरीदना पड़ता है। यह काम NREGA के जरिऐ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जब वहां पर यह स्कीम ही लागू नहीं कर सकते हैं तो वहां पर जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे लोग वहां पर कैसे काम कर सकेंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री बिश्वजीत दैमारी : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप NREGA में जो मजदूरी दे रहे हैं, वह आज के महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। क्या आप इसको 300 रुपए प्रतिदिन करेंगे? मेरा सुझाव है कि मजदूरों को 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी देनी चाहिए, ताकि आज की महंगाई के दौर में वे लोग गांवों में NREGA की स्कीम में काम करके जीवन यापन कर सकें।

श्री प्रदीप जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, उस कानून में 100 रुपए की न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। इसका

इम्प्लीमेंटेशन और इसकी प्लानिंग राज्य सरकारों को करनी है। अगर किसी विशेष क्षेत्र में उन्हें यह लगता है कि इससे ज्यादा पैसा मजदूरों को देना चाहिए, तो वे दे सकते हैं। सर, इसका जो preamble है, जो एक्ट का preamble है, उसके अंतर्गत, जो unskilled labour है, वह श्रमिक जो migrate करता था, जिसको गांव में काफी झुक कर काम करना पड़ता था, गांव की महिला, जिसे दस रुपए के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, उन सबको एक कानून के रूप में अधिकार दिया गया है और उसकी कार्य योजना - चाहे असम हो, चाहे उड़ीसा हो, ग्राम पंचायत के अंदर बनी है। देश के अंदर इसका जो क्रियान्वयन है - जैसा हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा है - हम हर राज्य सरकार को 6 परसेंट administrative expenses देते हैं। आज भी जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनके अनुसार - इंजीनियर के पास अगर technical व्यक्ति नहीं होगा तो एमबी नहीं होगी - एक-एक इंजीनियर 185 से ज्यादा एमबी करता है, जिसके कारण उसका measurement timely नहीं हो पाता और पेमेंट में दिक्कत होती है। हम आपके माध्यम से समस्त राज्य सरकारों से यह आग्रह करते हैं कि वे इसमें ज्यादा से ज्यादा technical staff रखें क्योंकि इसके लिए हम उन्हें 6 परसेंट धनराशि प्रदान करते हैं। महोदय, दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐक्ट है, उस ऐक्ट के अंदर हमारा पहला उद्देश्य यह है कि वहां पर जो unskilled labour है, उसको हम सौ दिन का रोज़गार दें। हमारा उद्देश्य कार्य नहीं है, हमारा उद्देश्य उन बेरोजगारों का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देना है।

श्री वीर पाल सिंह यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि NREGA के अंतर्गत सौ दिन के काम की इन्होंने सीमा रखी है कि साल में कम से कम सौ दिन काम दिया जाएगा। इस प्रकार से एक महीने में उन्हें आठ-नौ दिन काम मिलता है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि सौ दिन से ज्यादा की समय सीमा की जाए? क्योंकि, अक्सर देखा गया है कि वहां पर दस दिन से ज्यादा काम नहीं देते हैं और मजदूर शहरों की तरफ भागते हैं।

श्री प्रदीप जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो data उभरकर आए हैं, उनके अनुसार आज भी सौ दिन के रोजगार को छूने वालों की संख्या एक करोड़ से कम है। जो अनुमानतः औसत रोजगार है, वह 52 दिन का है। जैसा मैंने पहले ही आग्रह किया कि यह जो कानून है, इस कानून को आप सब लोगों ने मिलकर इस सरकार के नेतृत्व में बनाया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को करना है - गारंटी राज्य सरकार देती है। भारत सरकार जितने भी 100 डेज़ जेनरेट होंगे, उनके लिए धनराशि उपलब्ध करेगी। जब हम सौ दिन के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे तो मैं समझता हूं कि इसको आगे बढ़ाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है। उन्होंने categorically पूछा था।

श्री सभापति : पाणि जी, बैठ जाइए। आपका सवाल नहीं था, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... यह आपका सवाल नहीं था।

श्री रुद्रनारायण पाणि : मशीनों से काम होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : पाणि जी, आप बैठ जाइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप उन्हें सुरक्षा दीजिए। उन्होंने categorically कहा था। मशीनों से काम किया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। आपका प्रश्न नहीं था।

Impact of Recession

*543. SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of factories declared sick due to recession since April 2009;

(b) the number of units recommended by Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) to close down; and

(c) the number of jobs that have been lost or will be affected due to closure of sick units since April, 2009?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has reported that 200 industrial companies have been declared sick under the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 by the Board since April 2009. BIFR has recommended 22 industrial companies / units for winding up since April 2009 and the number of employees in these industrial companies / units at the time of their registration was 2174.

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा बताया कि बी.आई.एफ.आर. से जो सूचियां प्राप्त हुई हैं, उसमें लगभग 200 औद्योगिक इकाईयां हैं, जो सिक हो गई हैं और उसके साथ-साथ लगभग दो हजार कर्मचारियों को उनमें से हटाया गया है। महोदय, यह बेहतर होता यदि यह सैक्टर-वाइज जवाब देते कि इनमें से टेक्सटाइल में कितने, इंजीनियरिंग में कितने और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने हैं। पता नहीं सरकार ने इस सदन को बताना यह क्यों नहीं आवश्यक समझा कि किस अनुपात में किस-किस क्षेत्र में क्या स्थिति है। अगर विस्तार से जवाब दिया जाता तो प्रश्न पूछने में सुविधा होती। मैं अभी भी चाहूंगा कि सरकार यदि बता सके तो बताए कि किन-किन क्षेत्रों में, जो रिसेशन की पूरी दुनिया भर में चर्चा रही है, उसका किन-किन क्षेत्रों में, कितना-कितना प्रभाव रहा है? यदि इस पर आप प्रकाश डाल सकें तो सदन को इसका लाभ हो सकेगा। इस प्रकार पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया है।